न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—35 / 2025

जी.सी.एम.एस नं.—2025 / 96

सुरेन्द्र कुमार गणेशदास जाति अरोडा निवासी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————प्रार्थी

बनाम्

1. गुरसंगत सिंह महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 54 जीबी तहसील अनूपगढ़ (राज.)
2. बलवीर कौर पत्नी भजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 54 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. उप पंजीयक अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित—

1. श्री रमेश सोलकी एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री मनोहर लाल एडवोकेट अप्रार्थी सं.—1 व 2 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 01/12/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील अनूपगढ़ कि कृषि भूमि वाके चक 54 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—32 वर्तमान मुरब्बा नं.—30 पत्थर सं.—233 / 457 के कि.नं.—1 / 1, 2 / 1, 3 / 1, 4 / 1, 7 ता 13, 18 / 2, 19 ता 23 की कुल 4.961 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं.—1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रकरण उक्त कृषि भूमि में से 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 10 बीघा कृषि भूमि का विवाद है जिसे आयंदा प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा जाऐगा। प्रार्थी यहां यह दर्ज करना उचित समझता है कि चक 54 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—32 (वर्तमान मुरब्बा नं.—30 पत्थर सं.—233 / 457) के कि.नं.—1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 10 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं.—1 के पिता महेन्द्रसिंह व अप्रार्थी सं.—2 के पति हरभजनसिहं उर्फ भजनसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में सयुक्तं रूप से दर्ज थी महेन्द्रसिंह व हरभजनसिंह पिसरान निरंजनसिंह ने अपनी उक्त 10 बीघा कृषि भूमि प्रतिफल की, ऐवज में जरिए इकरार[illegible] 13.10.1988 को बैचान कर कब्जा भूमि मौका पर प्रार्थी को सौप दिया था जिस पर तब से लेकर आज रोज तक प्रार्थी का निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक कब्जा [illegible] चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त विवादित भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। ईकरारनामा निष्पादन के उपरांत महेन्द्रसिह व हरभजनसिह पिस[illegible] निरंजनसिह द्वारा ईकरारनामा दिनांक 13.10.1988 की पालना में विवादित भूमि का बैयनामा प्रार्थी के पक्ष में करवाने से इन्कार करने पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत संविदा की विनिर्दिष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.04 14:52:06 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अनुपालना हेतू महेन्द्रसिहं व हरभजनसिहं के विरूद्ध दायर किया गया जो वाद सं. –106/1998 बआनंवानी सुरेन्द्र कुमार बनाम महेन्द्रसिहं आदि पर संस्थित हुआ तत्पश्चात माननीय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ के द्वारा उक्त वाद सं. 106/1998 का निर्णय अन्तिम रूप से गुणावगुण पर किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.1999 को प्रार्थी के पक्ष में निर्णित एवं डिक्रित फरमाया गया। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.6.09.1999 की प्रतियां सलग्नं है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.1999 के विरूद्ध महेन्द्रसिहं व हरभजनसिहं द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष सिविल फर्स्ट अपील प्रस्तुत की गई जो अपील वर्तमान में भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है इस प्रकार उक्त विवादित भूमि प्रार्थी की महेन्द्रसिहं व हरभजनसिंह से जरिए ईकरारनामा खरीदशुवा है जो खरीद के रोज से ही प्रार्थी के निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा जिसके सम्बधं में माननीय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.1999 एवं उसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष विचाराधीन अपील एवं उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त का अप्रार्थी सं. –1 व 2 को बाखुबी ज्ञान है। इसी दौरान महेन्द्रसिंह व हरभजनसिंह का देहान्त हो गया स्व. महेन्द्रसिहं के देहान्त उपरांत अप्रार्थी सं.–1 व 2 अकविन्द्रकौर, कुलदीपकौर, बलवीरकौर व जसप्रीतकौर विधिक वारिसान है तथा स्व हरभजनसिहं की अप्रार्थी सं.–1 विधिक वारिस है उक्त समस्त वारिसान को उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं के नाम से महेन्द्रसिहं के हिस्सा की भूमि एवं न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ़ द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.1999 एवं जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील का बाखुबी ज्ञान है लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं.–1 व 2 तथा स्व. महेन्द्रसिहं के समस्त वारिसान ने आपस में दुर्भिसन्धी करके एवं साजिशाना तरीके से प्रार्थी के पक्ष में पारित निर्णय एवं डिक्री की विफल करने के उदेश्य से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराध पीन अपील के लम्बनकाल के दौरान तथ्यो को छुपाकर सर्वप्रथम महेन्द्रसिहं के वारिसान के नाम विराशतन इन्तकाल सं.–415/07.06.2024 को दर्ज करवाया तत्पश्चात हक त्याग के आधार पर भजनसिंह व अप्रार्थी सं.–1 के नाम से नामान्तरण सं.–417 दिनांक 09.07.2024 को वर्ज करवाया गया एवं महेन्द्रसिहं के देहान्त के उपरांत उसकी पत्नि अप्रार्थी सं. –2 के नाम से नामान्तरण सं.–422 दिनांक 06.09.2024 को दर्ज करवाया गया इस प्रकार उक्त विवादित भूमि के सम्बधं में दर्ज किये गये समस्त इन्तकाल आरम्भ से शून्य व विधि विरूद्ध है। प्रार्थी विवादित भूमि का सदभाविक खरीदवार एवं काबिज काश्तकार है लेकिन उक्त विवादित भूमि के सम्बधं में उक्त नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का कतई अवसर प्रदान नहीं किया गया ऐसी स्थिति में भी उपरोक्त नामान्तरण आरम्भ से शून्य व विधि विरूद्ध है जिससे [illegible] 1 व 2 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अब पिछले कुछ दिनों से [illegible] 1 व 2 मिलकर प्रार्थी के कब्जा काश्त की उक्त विवादित भूमि में द[illegible]जी पैदा करने लगे तथा आज से अरसा तीन रोज पूर्व अप्रार्थी सं.–1 व 2 ने धमकी दी कि उक्त विवादित भूमि का हमने अपने नाम से इन्तकाल वर्ज करवा[illegible]या है अब जमीन हमारे नाम से हो गई है इसलिए हम शीघ्र ही इस पर अपना कब्जा करेमें जिन पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–1 व 2 को समझाया कि यह जमीन उसकी महेन्द्रसिहं व हरभजनसिहं से उनके जीवनकाल में खरीद की थी जो तब से ही मेरे

कार्यालय उप जिला ... जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.04 14:52:06 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कब्जा काश्त में है तथा इस जमीन के सम्बधं में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपगढ द्वारा मेरे पक्ष में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.1999 भी पारित है जिसकी अपील भी उच्च न्यायालय में चल रही है लेकिन अप्रार्थी सं.–1 व 2 ने प्रार्थी की कोई बात सुनने से इन्कार करते हुऐ कहा कि हम किसी न्यायालय के निर्णय व डिक्री को नहीं मानते हम शीघ्र ही प्रार्थी को जबरन विवादित जमीन से जबरन बेदखल कर देगें और विवादित जमीन सहित सारी जमीन को अन्यत्र बैचान कर खुर्द बुर्द कर देगें। स्व. महेन्द्रसिहं व हरभजनसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त विवादित भूमि का बैचान पूर्ण प्रतिफल के बदले जरिये ईकरारनामा दिनांक 13.10.1988 प्रार्थी को करके उक्त विवादित भूमि का कब्जा मौका पर प्रार्थी को सौंप दिया था जिस पर तब से लेकर आज रोज तक प्रार्थी का लगातार एवं निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी उक्त विवादित भूमि की सदभाविक खरीददार है व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.1999 के प्रकाश में विवादित भूमि के समस्त प्रकार के हक अधिकार प्रार्थी मे निहित हो चुके है लेकिन अप्रार्थी सं.–1 व 2 विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी को उक्त विवादित भूमि से बिला अधिकार जबरन बेदखल करने व उक्त विवादित भूमि को अन्यंत्र हस्तांतरित रहन बैचान कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है यदि प्रतिवादगण अपने इस नापाक ईरादे मे कामयाब हो गए तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपुर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं हो सकेगी। इसलिऐ प्रार्थी अपने सम्पतिक अधिकारो की सुरक्षा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पुर्णतया वादी के पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूलअप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी सं.–1 व 2 विवादित भूमि वाके चक 54 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 (वर्तमान मुरब्बा नं.–30 पत्थर सं.–233/457) के कि.नं.–1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 10 बीघा कृषि भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा करने व करवाने से तथा उक्त भूमि के किसी भू भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व उसे किसी भी प्रकार से अन्यंत्र रहन, बैचान व हस्तान्तरित करने से बाज वा ममनू रहे। अप्रार्थीगण मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 व 2 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि जमाबंदी में अप्रार्थीगण सं–1 व 2 के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है, कब्जा काश्त में है। शेष मद कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है जबकि सत्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण सं–1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थीगण सं.–1 [illegible] नाम की कृषि भूमि पर शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है। [illegible] महेन्द्रसिंह ने अपने जीवनकाल में तथा भजनसिंह ने प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार के पक्ष में [illegible] इकरारनामा तहरीर नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रतिफल सुरेन्द्र कुमार से प्राप्त किया है। इनका एक रिश्तेदार बनवारीलाल ने अप्रार्थी सं.–1 के [illegible] महेन्द्रसिंह व अप्रार्थीया सं.–2 के पति भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह से ईन्ट भट्ठा के लिए मिट्टी निकालने हेतु कहने पर अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 के पति/पिता ने मिट्टी निकालने की इजाजत दी इस पर तथाकथित फर्जी वा कूटरचित ईकरारनामा दिनांक 13.10.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.04 14:52:06 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

1988 का तैयार किया है। उस समय सुरेन्द्र कुमार प्रार्थी नाबालिग था। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत संविदा करने के योग्य नहीं था। इस तरह से तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 13–10–1988 कतई फर्जी वा कूटरचित है। अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 के पति/पिता ने अपने जीवनकाल में कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे है वर्तमान में अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कि प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार के पक्ष में माननीय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16–9–1999 को निर्णित कर डिक्री किया गया है। अप्रार्थी सं.–1 के पिता महेन्द्रसिंह वा अप्रार्थीया सं.–2 के पति भजनसिंह ने माननीय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–09–1999 के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे अपील पेश की अपील सं–एसबी सिविल प्रथम अपील 287/1999 है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अप्रार्थीगण के पति वा पिता के पक्ष मे दिनांक 7–2–2000 को अंतरिम स्थगन आदेश तत्पश्चात दिनांक 18–9–2001 को स्थगन अपील के निर्णय तक कर्फम कर दिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने स्थगन आदेश इस अमर का पारित किया कि यथास्थिति बनाऐ रखे वा आगे बेचान ना करे। स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति सलग्न जबाव है। कि अपील जैरकार है तथा स्थगन आदेश भी आज रोज प्रभाव मे है। जब तक अपील का निर्णय नही हो जाता स्थगन आदेश प्रभाव में रहेगा। अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 का अपने नाम से कृषि भूमि पर आज रोज शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी सं.–1 के पिता ने जीवनकाल में तथा अप्रार्थी सं.–2 के पति का कब्जा काश्त जब से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे मे बतौर खातेदार दर्ज है, चला आ रहा है। प्रार्थी अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 के कब्जा काश्त मे दखलदांजी करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट अनूपगढ द्वारा मौका पर शांति बनाए रखने हेतु प्रार्थी को पाबंद किया है। इसके बावजुद प्रार्थी कुछ असामाजिक तत्वो को शराब पिला कर अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 के कब्जा काश्त मे दखलदांजी पैदा कर रहा है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश कर दिनांक 19–06–2025 को स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 के पक्ष मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन आदेश है। इस तथ्य को श्रीमान् न्यायालय मे पेश प्रार्थना पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी ने दर्ज नही किया है। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के प्रभाव रहने के बावजुद श्रीमान् न्यायालय से तथ्य छुपा कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। श्रीमान् न्यायालय का स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के विरोध में है तथा काविले निरस्ती के है। प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से अप्रार्थीगण सं.–1 के पिता वा 2 के पक्ष में स्थगन आदेश पारित है जो आज रोज प्रभाव में है। श्रीमान् न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश दिनांक 19–6–2025 को पारित किया [illegible] तरह से अलग–2 अदालत के अलग–2 स्थगन आदेश है जो आपस [illegible] विरोधा[illegible] स्थगन आदेश है। इसलिए श्रीमान् न्यायालय का स्थगन आदेश जो प्रार्थी के [illegible] दिनांक 19–6–2025 को पारित किया है, कानूनी [illegible] है। अप्रार्थीया सं.–1 के पिता का देहांत हो गया। अप्रार्थीया सं.–1 [illegible] मृतक पिता की प्रथम श्रेणी की जायज वारिस होने के नाते इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया। विरास्तन इंतकाल से कानून की नजर मे कोई अधिकार प्राप्त नही होता है इसी तरह से अप्रार्थीवा सं.–2 ने अपने नाम से इंतकाल दर्ज करवा लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.04 14:52:06 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अप्रार्थीगण की माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे अपील जैरकार है। अपील मे अप्रार्थीया सं.–1 ने अपने पिता महेन्द्रसिंह की मृत्यु के पश्चात प्रथम वारिसान होने के कारण रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। इस तरह से अप्रार्थीगण सं.–1 व 2 ने कोई तथ्य छुपाऐ नही है। जबकि प्रार्थी ने श्रीमान् न्यायालय से माननीय उच्च न्यायालय का अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के पक्ष मे स्थगन आदेश को छुपा कर श्रीमान् न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो माननीय उच्च न्यायायल के स्थगन आदेश के विरोध में है। इस तरह अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के पक्ष में दर्ज इंतकाल किसी भी तरह से विधि विरूद्ध वा शुन्य नहीं है जबकि कानून की नजर मे सही इंतकाल दर्ज हुआ है। अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 के पति/पिता ने अपने जीवनकाल में माननीय उच्च न्यायालय में अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 16–9–1000 के विरूद्ध अपील पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। अप्रार्थीया सं–1 के पिता के देहांत हो जाने से अप्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारिस है, ने विरास्तन इंतकाल दर्ज करवा कर अपने पिता के स्थान पर माननीय उच्च न्यायालय में रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस कृषि भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण के पति/पिता का आरंभ से बतौर खातेदार कृषक चला आ रहा है। अप्रार्थीगण सं.–1 पिता के देहांत के बाद अप्रार्थीया सं.–1 का तथा अप्राीया सं.–2 का आज रोज तक शांति पूर्वक चला आ रहा है। मौका पर अप्रार्थीगण का का काश्त है। प्रार्थी का कब्जा कभी नही रहा है। माननीय उचा न्यायालय का स्वगन आदेश है। इस तरह से प्रार्थी को कानूनी रूप से इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना कतई आवश्यक नही है। इंतकाल कानूनी रूप से सही दर्ज हुआ है। कृषि भूमि के कब्जा काश्त मूल खातेदार महेन्द्रसिंह वा अजनसिंह का आरंभ से कब्जा काश्त है। महेन्द्रसिंह के देहांत के बाद अप्रार्थीया सं.–1 का है। अप्रार्थीया सं.–2 वा उसके पति भजनसिंह का कब्जा काश्त आज रोज भी बतौर खातेदार चला आ रहा है। प्रार्थी ने श्रीमान् न्यायालय के स्थगन आदेश की आड़ में कब्जा करने का प्रयास किया तो थानाअधिकारी पीएस रामसिंहपुर ने प्रार्थी को शांति भंग ना करने के लिए पाबंद करने हेतु परिवाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी को पाबंद किया गया है। श्रीमान् न्यायालय का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के विरोध में है जो कानूनी रूप से स्थगन आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। श्रीमान् न्यायालय का स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की परिभाषा में आता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के तथ्य दर्ज नहीं कर श्रीमान् न्यायालय को गुमराह कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। माननीय उच्च न्यायालय में इस कृषि भूमि के संबंध में अपील जैरकार है। अपील के जैरकार रहते श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रार्थी कोई भी वाद पेश करने का कानूनी अधिकारी नहीं है। [illegible] काश्तकारी अधिनियम में इस संबंध मे कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थी [illegible] उच्च न्यायालय मे जैरकार अपील के विरूद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] स्टेज पर काबिले निरस्ती के है। प्रार्थी को इस बात का पूर्ण रूप से इल्म है कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 16–9–[illegible] के विरूद्ध अप्रार्थीया सं.–1 के पिता महेन्द्रसिंह वा अप्रार्थीया सं–1 के पति भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है मौका पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 का है। प्रार्थी को श्रीमान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.04 14:52:06 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने का कानूनी अधिकार नही है। माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर अपील का निर्णय होने तक प्रार्थी को किसी भी तरह से इस कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र का वाद कारण प्राप्त नही हो सकता है। अप्रार्थीगण सं–1 वा 2 का कब्जा काश्त है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश अप्रार्थीगण सं–1 व 2 के कब्जा काश्त को सुरक्षित रखने के लिए जारी किया हुआ है। इस तरह से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थी श्रीमान् न्यायलाय से किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थीगण सं.–1 या 2 के पति/पिता ने माननीय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 16–9–1999 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील पेश कर अपने पक्ष में स्थगन आदेश दिनांक 7–2–2000 वा दिनांक 18–9–2001 को प्राप्त किया हुआ है। कब्जा काश्त आरंभ से अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 का चला आ रहा है। अपील माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार है। श्रीमान् न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 19–6–2025 माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के विरोध में होने के कारण कानूनी रूप से चलने योग्य नही है। श्रीमान् अदालत का स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के विरोध मे होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की परिभाषा मे आता है। माननीय उच्च न्यायालय मे अपील जैरकार के दौरान श्रीमान् न्यायालय मे कृषि भूमि के संबंध में कानूनी रूप से वाद पेश नहीं हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार अपील के दौरान प्रार्थना पत्र मे कोई आदेश कानूनी रूप से पारित नही किया जा सकता है इसलिए वाद प्रार्थी निरस्ती योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि स्व. महेन्द्रसिहं व हरभजनसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त विवादित भूमि का बैचान पूर्ण प्रतिफल के बदले जरिये ईकरारनामा दिनांक 13.10. 1988 प्रार्थी को करके उक्त विवादित भूमि का कब्जा मौका पर प्रार्थी को सौप दिया था जिस पर तब से लेकर आज रोज तक प्रार्थी का लगातार एवं निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि के संबंध हक अधिकार व अधिपत्य प्रार्थी के निहित हो चुके है अतः अप्रार्थी को अस्थाई [illegible] से पाबन्द किया जावें। पत्रावली के उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण सं. [illegible] 2 के पति/पिता ने माननीय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के [illegible] दिनांक 16–09–1999 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील पेश कर अपने पक्ष में स्थगन आदेश दिनांक 7–2–2000 वा दिनांक [illegible]–9–2001 को प्राप्त किया हुआ है। कब्जा काश्त आरंभ से अप्रार्थीगण सं.–1 वा 2 का चला आ रहा है। अपील माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार है। इस न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 19–06–2025 माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के विरोध

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.04 14:52:06 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

में होने के कारण कानूनी रूप से चलने योग्य नही है। अदालत का स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के विरोध मे होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की परिभाषा मे आता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है माननीय उच्च न्यायालय मे अपील जैरकार के दौरान न्यायालय मे कृषि भूमि के संबंध में कानूनी रूप से वाद पेश नहीं हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार अपील के दौरान प्रार्थना पत्र मे कोई आदेश कानूनी रूप से पारित नही किया जा सकता है। प्रार्थी ने ईकरारनामा के आधार पर न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। ईकरारनामा से प्रार्थी को विवादित कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थी ईकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है और ना ही प्रार्थी अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के विरूद्व तय किया गया है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने से वचित हो जायेगा। जबकि कानून व अप्रार्थी सं.–1 व 2 अपने खातेदारी कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी है अप्रार्थी सं.–1 व 2 कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन तथ्य भी प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :–चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु अप्रार्थी के विरूद्व तय किये जा चुके है तथा प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही है यदि उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत अपने खातेदारी कृषि भूमि को उपयोग व उपभोग करने से वचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी के मुकाबले अप्रार्थी को अधिक क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.04 14:52:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज **दिनांक** 01/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़